संतोष @ संतुकराव

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

9 मई, 2007

(एस.बी.सिन्हा व मार्कण्डेय काटजू, जे.जे.)

दण्ड संहिता,1960, धाराएं 302 व 307:

हमला और हत्या- आरोपी ने मृतक पर धारदार हथियार से हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई और पीडब्ल्यू 1 घायल हो गया- विचारण न्यायालय ने उसे धारा 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि- अपील पर, अभिनिर्धारित: एफ आई आर दर्ज होने के वास्तविक समय के संबंध में विसंगति होना ऐसा नहीं है जो पूरे अभियोजन मामले के लिए घातक साबित हो विशेष रूप से तब जब नेत्र साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से होती हो- जब अभियोजन मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित होता है तो प्रयोजन का इतना महत्व नहीं रहता है- हालांकि, मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि उदेश्य साबित नहीं हआ है- आरोपी के कहने पर हमले के हथियार और अन्य सामान बरामद किये

गये है- बरामद शुदा कमीज पर लगे खून का रक्त समुह पीडब्ल्यू 01, पीडित के रक्त समूह से मिलता है- निचले दोनों न्यायालयों ने पीडब्ल्यू 01 की गवाही को एक स्वभाविक गवाह के रूप में स्वीकार किया- उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों के तहत, निचले न्यायालयों के निष्कर्षो से भिन्न निष्कर्ष होने का कोई कारण नहीं है।

सिद्धान्त:

'एक बात में झूठ, हर बात में झूठ' सिद्धान्त- की प्रयोज्यताः

अभियोजन पक्ष के अनुसार उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब पीडब्ल्यू 1 और मृतक एक साप्ताहिक बाजार में जा रहे थे, आरोपी-अपीलार्थी विपरीत दिशा से आया और कथित तौर पर मृतक पर हमला किया। जब पीडब्ल्यू 01 ने उस पर हमला करने से रोकने का प्रयास किया तो उस पर भी आरोपी ने एक तेज धार वाले हथियार से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसके चोट लगी। आरोपी द्वारा मृतक का पीछा किया गया फिर से हमला किया गया, पीडित की मौके पर ही मौत हो गई। विचारण न्यायालय ने आरोपी को अपराध अंतर्गत धारा 302 और 307 भारतीय दण्ड संहिता कारित करने का दोषी पाया और उसे तदनुसार सजा सुनाई। व्यथित अभियुक्त ने एक अपील याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया इसलिये वर्तमान अपील दाखिल की गई है।

अभियुक्त-अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय कायम नही रखा जा सकता क्योंकि चश्मदीद गवाह के रूप में पीडब्ल्यू 01 की साक्ष्य पर प्रश्न चिन्ह है क्योंकि उसने "आर" को गलत तरीके से फँसाने का प्रयास किया था। अपराध कारित करने का तथाकथित उदेश्य, पूर्व में मृतक द्वारा अभियुक्त को थप्पड मारना, साबित नहीं हो सका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के संबंध में विसंगति है क्योंकि यद्यपि पीडब्ल्यू 01 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट 9.00 पी एम पर दर्ज करवाई गई थी जबकि अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 07 का कथन है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट 11-45 पी एम पर दर्ज की तथा अपीलार्थी के कहने पर वस्तुओं की जप्ती साबित नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: 1.1 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के संबंध में विसंगति है। हालांकि, यह विवादित नहीं है कि पीडब्ल्यू 01 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जब उसका बयान जांच अधिकारी पीडब्ल्यू 07 द्वारा दर्ज किया गया था तब उसका इलाज किया जा रहा था। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर के अनुसार, बयान लगभग 11 बजे दर्ज किया गया था। हालांकि, जांच अधिकारी ने कहा कि एफ आई आर लगभग 11-45 पी एम पर दर्ज की गई थी। गंभीर चोटों के कारण घायल द्वारा समय याद ना रखने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार बयान दर्ज करने

का समय 11.00 पी एम हो सकता है लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 11.45 पी एम पर दर्ज की गई, इसका मतलब यह नहीं होगा कि पीडब्ल्यू 01 के बयान लेखबद्ध करना भी उस समय शुरू हो गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के वास्तविक समय के संबंध में कथित विसंगति ऐसी नहीं है जो पूरे अभियोजन मामले के लिए घातक साबित हो विशेष रूप से तब जब प्रत्यक्ष साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से होती हो। (पैरा 9 व 10)(203-डी,ई,एफ,जी)

1.2 यह सर्वविदित है कि भारत में 'एक बात में झूठ, हर बात में झूठ' की प्रयोज्यता नहीं है। जहां तक अभियुक्त की ओर से उद्देश्य को स्थापित ना करने का संबंध है तो यह कहना पर्याप्त है कि जब अभियोजन कहानी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित होती है, तो उद्देश्य का महत्व नहीं रह जाता है हालांकि, यह तर्क देना सही नहीं है कि उद्देश्य साबित नहीं हुआ है। (पैरा 10)(203-जी,एच;204-ए)

1.3 अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अभियुक्त की पहचान के संबंध में विवाद उठाया गया था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्ष एक ही गांव के निवासी थे, उक्त तर्क को सही ही नकार दिया। इस न्यायालय के समक्ष इस तरह के तर्क को गंभीरता से उठाया भी नहीं गया है, इसलिये अपीलार्थी की पहचान का विवाद नहीं है।

निचले दोनों न्यायालयों ने पीडब्ल्यू 01 की साक्ष्य को स्वाभाविक गवाह के रूप में स्वीकार किया है। अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है।

(पैरा 11) (204-ए,बी)

2. घटना का विवरण भी पीडब्ल्यू 01 द्वारा तुरन्त पीडब्ल्यू 03 को दिया गया था। ऐसा कारण नहीं है कि पीडब्ल्यू 01, पीडब्ल्यू 03 को झूठ बोलेगा। इसके अलावा आरोपी के कहने पर हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया, जिन पर मानव रक्त पाया गया। अभियुक्त की कमीज भी बरामद की गई थी। वह भी खून में सनी हुई थी। उक्त हथियार पर पाया गया रक्त समूह तथा अभियुक्त का रक्त समूह "बी" पीडब्ल्यू 01 के रक्त समूह से मिलता है। इस प्रकार निचले न्यायालयों के निष्कर्षों से भिन्नता का कोई कारण नहीं है। (पैरा 13) (204-सी,डी,ई)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः- आपराधिक अपील संख्या 704/2007

बम्बई उच्च न्यायालय की औरगांबाद पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 101/2001 में दिये गए अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 30.6.2004 से

के.राजीव अपीलार्थी की ओर से

सुशील करन्जकर और रविन्द्र केशवराव प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय एस.बी.सिन्हा, जे. द्वारा पारित किया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरगांबाद पीठ की आपराधिक अपील संख्या 101/2001 में दिनांक 30-6-2004 को पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी हमारे समक्ष आया है जिसमें उच्च न्यायालय ने दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जलाना द्वारा दिनांक 03-2-2001 को अपीलार्थी को अपराध अंतर्गत धारा 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः आजीवन कारावास व पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड और दस वर्ष के कठोर कारावास व पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड की पुष्टि की थी।

3. अभियोजन कहानी निम्न प्रकार से है:-

संधू (पीडब्लू 1) द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट 7/8/1999 को रात लगभग 11 बजे एक अस्पताल में एक घटना के संबंध में दर्ज की गई थी जो भाकरदान नामक स्थान पर हुई थी। पीडब्ल्यू 01 और मृतक जनार्दन दलवी कथित तौर पर हर सप्ताह आयोजित होने वाले एक साप्ताहिक बाजार में भाग लेने जा रहे थे, जो हर शनिवार को लगता था। वे पैदल जा रहे थे। अपीलार्थी संतोष विपरीत दिशा से आया। हालांकि, वे आगे बढ गये लेकिन अभियुक्त अचानक वापस आया और मृतक पर पहले

पीछे से हमला किया। पीडब्ल्यू 01 ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उस पर भी धारदार नुकीले हथियार से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर पर चोट लगी। जनार्दन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पीछा किया गया और एक तेज धार वाले हथियार से उस पर हमला किया। बाद में याचिकाकर्ता भाग गया। जनार्दन की मौके पर ही मौत हो गई।

4. विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष, पीडब्ल्यू 01 के अतिरिक्त अन्य गवाह भी परीक्षित करवाये गये। अपीलार्थी, जैसा कि पहले यहां देखा गया था, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दोषी पाया गया। उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के. राजीव ने तर्क दिया कि पीडब्ल्यू 01 की चश्मदीद गवाह के रूप में विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है क्योंकि उसने राधाकिशन को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया था। यह आग्रह किया गया कि अपराध करने का कथित उद्देश्य अर्थात मृतक द्वारा पहले किसी समय पर आरोपी को थप्पड मारना साबित नहीं हुआ है, इसलिए आलोच्य निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय के संबंध में विसंगति है। यद्यपि पीडब्ल्यू 01 के अनुसार रिपोर्ट

रात नौ बजे दर्ज की गई थी किन्तु जांच अधिकारी, पीडब्ल्यू 07 ने कहा कि उन्होने उसे रात 11-45 बजे दर्ज किया था। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि जप्त की गई वस्तुएँ अपीलार्थी के कहने से जप्त किया जाना, साबित नहीं किया गया है ।

6. हालांकि, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील करन्जकर ने आलोच्य निर्णय का समर्थन किया है।

7. मृतक की हत्या और पीडब्ल्यू 01 की चोटों के संबंध में विवाद नहीं है। मृतक को दो बार छुर्रा घोंपने की चोट आई थी, एक उसकी पीठ के बीच में और दूसरी उसकी छाती पर। जैसा कि यहां पहले संकेत दिया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही यह बताया गया था कि मृतक पर पहले पीठ पर धारदार हथियार से हमला किया गया था और बाद में उसका पीछा किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पीडब्ल्यू 01 संधू द्वारा बड़ी संख्या में चोटों का सामना करना भी विवादित नहीं है। जैसा कि चिकित्सकीय रिपोर्ट से स्पष्ट है।

8. उसे निम्नलिखित चोटें आई:-

(i) कटा हुआ घाव छाती के दांयी ओर लगभग 4 से मी x 1/2 से मी मांसपेशी की गहराई तेज नियमित मार्जिन, आकार में दीर्धवृताकार, लाल आधार।

(ii) कटा हुआ घाव दाये पैराईटल भाग पर लगभग 4 सेमी x 1/2 सेमी x 1/2 सेमी मांसपेशी की गहराई तक, लाल आधार, तेज नियमित मार्जिन, आकार में दीर्धवृत्ताकार।

(iii) कटा हुआ घाव पीठ पर थोरेसिक वर्टिब्रा लगभग 2 सेमी x 1/2 सेमी आकार में दीर्धवृत्ताकार, तेज नियमित मार्जिन लाल आधार।

(iv) कटा हुआ घाव बाये कन्धे पर दीर्धवृत्ताकार 1/2 सेमी, लाल आधार तेज नियमित मार्जिन।

(v) कटा हुआ घाव गरदन के बायी ओर लगभग 1/2 सेमी x 1/2 सेमी लाल आधार तेज नियमित मार्जिन।

(vi) कटा हुआ घाव दांये अंगुठे के आधार पर लगभग 1/2 सेमी x 1/2 सेमी, लाल आधार दीर्धवृत्ताकार, तेज नियमित मार्जिन।

(vii) नीलगू बायें घुटने के पूर्ववर्ती पहलू पर लगभग 2 सेमी x 1 सेमी लाल आधार।

9. यह मामूली बात है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के संबंध में विसंगति मौजूद है। हालांकि, यह विवादित नहीं है कि पीडब्ल्यू 01 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जब उसके बयान पीडब्ल्यू 07 द्वारा अभिलिखित किये गये तब उसका इलाज चल रहा था। उसका इलाज कर

रहे डॉक्टर के अनुसार बयान लगभग 11 बजे दर्ज किया गया था। हालांकि, जॉच अधिकारी पीडब्ल्यू 07 ने कहा कि रिपोर्ट लगभग रात को 11-45 मिनट पर दर्ज की गई थी। गंभीर चोटों के कारण घायल द्वारा समय भूल जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह रात को बयान लगभग 11 बजे दर्ज किये गये होंगे किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 11-45 मिनट पर दर्ज की गई होगी, जिसका अर्थ यह नहीं होगा कि पीडब्ल्यू 01 के बयान लेखबद्ध करना उसी समय प्रारम्भ किया गया होगा।

10. संधू के कारित चोटों की संख्या में विवाद में नहीं है और अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया गया हो तो हमारी राय में, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने के समय में तथाकथित विसंगति ऐसी नहीं है जो पूरी अभियोजन कहानी के लिये घटक हो विशेषतः तब जबकि नेत्र साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से होती हो। यद्यपि पीडब्ल्यू 1 ने राधाकिशन का नाम लिया है किन्तु उसे अभियोजित ही नहीं किया गया है। यह सर्वविदित है कि भारत में 'एक बात में झूठ, हर बात में झूठ' सिद्धान्त की प्रयोज्यता नहीं है। जहां तक अभियुक्त के उद्देश्य को स्थापित ना कर पाने का प्रश्न है तो यह कहना पर्याप्त है कि जब अभियोजन कहानी प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित है तो उद्देश्य का महत्व नहीं रह जाता है। हालांकि यह तर्क सही नहीं है कि उद्देश्य साबित नहीं हो

सका है।

11. निचले न्यायालयों के समक्ष, अभियुक्त की पहचान के संबंध में विवाद उठाया गया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्ष एक ही गांव के निवासी थे, उक्त तर्क को सही ढंग से नकार दिया। इस तरह के विवाद को हमारे सामने गंभीरता से उठाया भी नहीं गया है, इसलिये अपीलार्थी की पहचान विवादित नहीं है। निचले दोनों न्यायालयों ने पीडब्ल्यू 01 की गवाही को एक स्वाभाविक गवाह के रूप में स्वीकार किया है। हमें अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण भी नहीं मिलता है।

12. हम देख सकते है कि पीडब्ल्यू 01 गांव में सबसे पहले फकीरबा म्हतारजी पीडब्ल्यू 03 के पास गया। उसने उसे घायल अवस्था में पाया, जिसके सिर, माथे व छाती पर चोटें थी। इसके बाद अन्य ग्रामीण एकत्रित हो गये। इस तथ्य का समर्थन पीडब्ल्यू 04 संजय और पीडब्ल्यू 12 प्रहलाद भीखाजी दलवी करते है।

13. हम यह भी देख सकते है कि घटना का विवरण पीडब्ल्यू 01 द्वारा तुरन्त पीडब्ल्यू 3 फकीरबा म्हातारजी को दिया गया। पीडब्ल्यू 03 झूठ क्यों बोलेगा, इसका कोई कारण नहीं है। जहां तक अभियुक्त के कहने पर कुछ वस्तुओं की बरामदगी का प्रश्न है तो हम देख सकते है कि हमले

का हथियार व अन्य सामान अभियुक्त के बताये अनुसार बरामद किये गये थे। जिन पर मानव रक्त था। अपीलार्थी की कमीज भी बरामद की गई जो भी खून में सनी हुई थी। उक्त हथियार पर पाया गया रक्त समूह तथा अभियुक्त का रक्त समूह "बी" पीडब्ल्यू 01 के रक्त समूह से मिलता है। इस प्रकार निचले न्यायालयों के निष्कर्षों से भिन्नता का कोई कारण नहीं है।

14. उपरोक्त कारणों से इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते है। अपील तदनुसार खारिज की जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनाली प्रशान्त शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।